अति आवश्यक

संख्या :एसएलएन(all type of Meeting Proceeding)-1/2024- I/394433/2024
कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी
जिला सोलन , हिमाचल प्रदेश।

सेवा में,

समस्त खंड विकास अधिकारी
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
सोलन - 173211 दिनांक 30-04-2024

Block Development Officer
283
2-5-2024
Solan (H.P.)

विषय- ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिको के राशन कार्ड बनाने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उपायुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 2310-2320 दिनांक 29-04-2024 के संदर्भ में दिनांक 24 अप्रैल 2024 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी पात्र श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने हेतु आयोजित की गई बैठक की कार्यवाही(प्रति संलग्न) इस कार्यालय में प्राप्त हुई है जिसमें चर्चा उपरांत निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे श्रमिको जो ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज है तथा उनका किसी भी राज्य में राशन कार्ड नहीं बना है के राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों मे पंचायत सचिवो के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जायेगे 1

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने खंड के अधीन आने वाली समस्त ग्राम पंचायतो के पंचायत सचिवों को ऐसे श्रमिको के राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाने के निर्देश जारी करने की कृपा करें ।

संलग्न - कार्यवाही

भवदीय

Signed by
Joginder Prakash Rana
Date: 30-04-2024 15:47:43
जिला पंचायत अधिकारी
सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0)

पृष्ठां0संख्या- यथोपरि- I/394433/2024 दिनाक 30-04-2024

प्रतिलिपि-

1 उपायुक्त जिला सोलन हि0प्र0 को सूचनार्थ।

2 जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को उपरोक्त के संदर्भ में सूचन

Digitally Signed

जिला पंचायत अधिकारी
सोलन , जिला सोलन (हि0प्र0)

P.I.

BDO
2/5/24

Endst. No- 829 to 866 Dated 03/05/2024

Copy forwarded to all Pan-Sec D.B.S for necessary action and strict compliance.

Block Development Officer
Solan Distt Solan(H.P)

office

जिला पंचायत अधिकारी,
पावती संख्या 15211 68
दिनांक 30-04-2024

दिनांक 24 अप्रैल, 2024 को श्री मनमोहन शर्मा, (भा.प्र.से.), उपायुक्त, सोलन जिला सोलन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी पात्र श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार धीमान, जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
2. श्री जोगिन्द्र प्रकाश, जिला पंचायत अधिकारी, सोलन जिला सोलन, हि0प्र0।
3. श्री पृथ्वी सिंह वर्मा, श्रम अधिकारी, सोलन जिला सोलन, हि0प्र0।
4. श्री शमशेर सिंह, अधीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
5. श्री सुदेश कुमार, लिपिक कम डी0ई0ओ0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सोलन जिला सोलन, हि0प्र0।

सर्वप्रथम जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सोलन द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/सदस्यों का स्वागत किया। तद्पश्चात् विधिवत निम्नलिखित मदों पर विस्तृत चर्चा की गई :-

1. **<u>सर्वोच न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जिला में ई-श्रमिको के राशन कार्ड बनाने बारे समीक्षा :-</u>**

बैठक में जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सोलन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) No. 6 of 2020 के अन्तर्गत आदेश जारी किए गए हैं कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने सम्बन्धी व्यापक प्रचार करें तथा पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड जारी करें तथा इन्हें राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभ प्राप्त हो सके । उन्होने यह भी सूचित किया कि निदेशालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 02.04.2024 द्वारा समस्त उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना हेतु अपने-2 जिला में जिला श्रम अधिकारी, जिला पचांयत अधिकारी व जिला नियन्त्रक, खा0ना0आ0एवंउप0मामले के साथ नियमित बैठक के माध्यम से प्रगति की समीक्षा करें ।

Pls put up on website

जिला नियन्त्रक ने अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि विभाग द्वारा समय-2 पर प्रैस नोट इत्यादि के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया गया है तथा विभागीय निरीक्षक वर्ग को मासिक बैठकों में भी आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे है। वर्तमान में विभाग के भरसक प्रयासों से सोलन जिला में अब तक सबसे अधिक 207 प्रवासी मजदूर परिवारों जिनकी जनसंख्या 901 है, को राशन कार्ड जारी कर दिए गए है तथा इन्हे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनुदानित खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे है। अध्यक्ष महोदय इसपर सन्तोष व्यक्त कर इस प्रक्रिया को इसी तरह आगे बढ़ाने का प्रयास करने के निर्देश दिए ।

29/4/24

2. **ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों की समीक्षा बारे :–**

इस मद पर अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम अधिकारी सोलन से ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों की सूची की जानकारी चाही । जिला नियन्त्रक द्वारा अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उनके द्वारा श्रम अधिकारी सोलन व बद्दी से श्रमिकों की सूचना चाही गई थी, परन्तु उनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई । जिसपर श्रम अधिकारी, सोलन द्वारा अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उनके विभाग के पास यह सूची उपलब्ध नहीं है । उनके द्वारा कॉमन सर्विस केन्द्र (Common Service Centre) से जिला सोलन की सूचना प्राप्त की गई है, जिसके अनुसार जिला सोलन में अब तक कुल 62,272 श्रमिक ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है । इस सन्दर्भ में विस्तृत चर्चा हुई कि इस पोर्टल पर इस आंकड़े से प्रवासी श्रमिकों के ईलावा अन्य स्थानिय परिवार भी शामिल है जिनके शत–प्रतिशत राशन कार्ड बने होने की भी सम्भावना है तथा इन आंकड़ों में प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्रित कर पाना कठिन है । चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन को निर्देश दिए कि कॉमन सर्विस केन्द्र (Common Service Centre) से उपरोक्त पंजीकृत सूची एकत्रित करके छटंनी हेतु डाटा पचांयती क्षेत्र में जिला पचांयत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों के डाटा को सम्बन्धित निरीक्षक खाद्य आपूर्ति से छटंनी करवाकर इन श्रमिकों से सम्पर्क करके पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र अमल में लाऐ, ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

3. **ई–श्रमिकों/प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड बनाने बारे समीक्षा :–**

अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सोलन व जिला पंचायत अधिकारी, सोलन को निर्देश जारी किए कि वे ऐसे प्रवासी श्रमिकों, जो ई–श्रम पोर्टल पर दर्ज है तथा जिनका किसी अन्य राज्य में राशन कार्ड नहीं बना है, के राशन कार्ड जिला सोलन के शहरी क्षेत्रों में खण्ड स्तर पर कार्यरत निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, विभाग व ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित पंचायत सचिवों द्वारा राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करे, ताकि उन्हे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी कर अनुदानित खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला पंचायत अधिकारी, सोलन को भी निर्देश जारी किए गए कि वे इस सन्दर्भ में समस्त पंचायत सचिवों को श्रमिकों के राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। जिस पर समस्त अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष महोदय को ई–श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने बारे आश्वासन दिया गया।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(मनमोहन शर्मा)
भा.प्र.से.
उपायुक्त सोलन,
जिला सोलन, हि०प्र०।

– लगातार –

पृष्ठांकन सख्यां:- 2310-2320 दिनांक 29/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि0प्र0 शिमला-9 को उपरोक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उपरोक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
3. श्रम अधिकारी, बद्दी जिला सोलन को उपरोक्त के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. समस्त निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, जिला सोलन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

उपायुक्त सोलन,
जिला सोलन, हि0प्र0